

उत्तर प्रदेश शासन गृह (पुलिस) अनुभाग-1 संख्या-1835/6-पु-1-15-53/2015.

लखनऊः दिनांकः 19 अगस्त, 2015

<u>अधिसूचना</u>

प्रकीर्ण

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या-5, सन् 1861) की धारा-2 और धारा-46 की उपधारा (3) के साथ पिठत उपधारा-(2) के खण्ड (ग) के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शिक्त का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी सभी विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस बल के नागरिक पुलिस के उपनिरीक्षक तथा निरीक्षक के चयन, पदोन्नित, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता का निर्धारण और स्थाईकरण आदि को विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है:-

उत्तर प्रदेश उप-निरीक्षक तथा निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 2015 भाग-1 सामान्य

	111111111111111111111111111111111111111						
संक्षिप्त नाम और	1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उप-निरीक्षक तथा निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा						
प्रारम्भ	नियमावली, 2015 कही जायेगी।						
	(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।						
सेवा की प्रास्थित	2- उत्तर प्रदेश उप-निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा में समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।						
परिभाषाएं	3- जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में-						
	(क) "अधिनियम" का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा						
	(अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण)						
	अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-4, सन् 1994) से है;						
	(ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य पुलिस उपमहानिरीक्षक से है;						
	(ग) "बोर्ड" का तात्पर्य इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार स्थापित						
	उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नित बोर्ड से है;						
	(घ) "संविधान" का तात्पर्य भारत के संविधान से है;						
	(ङ) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो भारत का संविधान के भाग-2 के						
	अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाए;						
	(च) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;						
	(छ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;						
	(ज) "विभागाध्यक्ष" का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश से है;						
	(झ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व						
	किन्हीं पूर्ववर्ती नियम के अधीन सेवा में किसी पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति से है;						
	(ञ) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वगों" का तात्पर्य अधिनियम की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट						



- नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है:
- (c) "पुलिस मुख्यालय" का तात्पर्य मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ और उत्तर प्रदेस पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से है;
- (ठ) "चयन समिति" का तात्पर्य सेवा के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार सम्यक रुप से गठित समिति से है;
- (ड) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश उप-निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा से है;
- (ढ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो।
- (ण) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अविध से है;
- (त) "आरक्षी" का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2015 के अनुसार आरक्षी पुलिस से है;
- (थ) "मुख्य आरक्षी" का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2015 के अनुसार मुख्य आरक्षी पुलिस से है;

(** अधिसूचना संख्याः 21/2016/2739/6-पु-1-16-53-2015, दिनांक 26.12.2016 द्वारा संशोधित)

भाग-2 संवर्ग

सेवा का संवर्ग

- 4- (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।
- (2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या निम्नलिखित होगी, जब तक कि उप नियम-1 के अधीन उसे परिवर्तित करने का आदेश पारित न किये जाये:-

पद का नाम		पदों की संख्या	
	स्थायी	अस्थायी	योग
1- निरीक्षक	890	1748	2638
2- उप निरीक्षक	7153	11846	18999
परन्तु यह कि,-			

- (1) विभागाध्यक्ष कुल स्वीकृत नियतन के अन्तर्गत विभिन्न इकाईयों के पदों की संख्या को पुनः अवधारित कर सकता है;
- (2) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकते हैं या राज्यपाल उसे प्रास्थिगत रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा; अथवा
- (3) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थाई या अस्थाई पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह

उचित समझें।

भाग-3 भर्ती

भर्ती का स्त्रोत

5- सेवा में विभिन्न श्रेणियों क पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्त्रोतों से की जायेगी:-

- (1) उपनिरीक्षक- (एक) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा बोर्ड के माध्यम से। टिप्पणी- एक सेवाकाल में पुलिस विभाग के दिवंगत कर्मचारियों के ऐसे आश्रित जो पुलिस उपनिरीक्षक के पद पर मृतक आश्रित के रूप में भर्ती के लिए प्रार्थनापत्र देते हैं, उनकी भर्ती बोर्ड द्वारा, सरकार द्वारा तय की गई नीति के अनुसार की जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि पुलिस उपनिरीक्षक के ऐसे पद, प्रत्येक वर्ष सीधी भर्ती के पूर्व सृजित पदों के सापेक्ष उत्पन्न हुई रिक्तियां के कारण भरे जाने वाले पदों के 05 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।
- (वो) उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के स्वीकृत पदों के कुल संख्या में से पचास प्रतिशत पद, अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस में से भरे जायेंगे जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अविध सहित तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

(*** अधिसूचना संख्याः 6/2017/2458/6-पु-1-17-53-2015, दिनांक 07.12.2017 द्वारा संशोधित)

(तीन) उपनिरीक्षक पद पर पदोन्नित के लिये उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के निःसंवर्गीय पदों पर पदोन्नित ऐसे मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस भी पात्र होगें जो खण्ड (2) में उल्लिखित अपेक्षा को पूरा करते हों।

(2) निरीक्षक-

(क) निरीक्षक नागरिक पुलिस के शत् प्रतिशत कुल स्वीकृत पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नित के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस में से भरे जायेंगे, जिन्होंने पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा तैयार किये गये निरीक्षक नागरिक पुलिस पदोन्नित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अविध को सम्मिलित करते हुए, इस रूप में सात वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो।

(***** अधिसूचना संख्याः 11/2018/4062/6-पु-1-18-53-2015, दिनांक 15.11.2018 द्वारा संशोधित)

(ख) निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नित के लिए निरीक्षक नागरिक पुलिस के निःसंवर्गीय पदों पर पदोन्नित ऐसे उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस) भी पात्र होंगे जो उपखण्ड (क) में उल्लिखित अपेक्षा को पूरा करते हों।

आरक्षण

6- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, अधिनियम और समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा



(शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित एंव भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा। राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय खिलाड़ियों का आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार होगा। यह कि उपबंधित किया जाता है कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति पुलिस सेवाओं के लिए पात्र नहीं होंगे।

भाग-4 अईताएं

	नाग-न जल्लाड्
राष्ट्रीयता	7- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:-
	(क) भारत का नागरिक हो, या
	(ख)तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी,
	1962 के पूर्व भारत आया हो; या
	(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से
	पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश केनिया,यूगांडा और यूनाईटेड
	रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया होः
	परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये
	जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया होः
	परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि
	वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-
	पत्र प्राप्त कर लें:
	परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का
	प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे
	अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि
	वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।
	टिप्पणी:- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न
	तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में
	सम्मिलत किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा
	सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी
	कर दिया जाये।
शैक्षिक अर्हता	8- उप निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा
	स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके
	समकक्ष अर्हता होनी चाहिए।
	(* अधिसूचना संख्याः 2/15/2678/6-पु-1-15-53-2015, दिनांक 03.12.2015 द्वारा
	संशोधित)
अधिमानी अर्हताएं	9- अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा
-	



	जिसनेः-
	(एक) डीओईसीसी (डोएक / नाइलिट) सोसायटी से कम्प्यूटर में 'ओ' स्तर का प्रमाण पत्र
	प्राप्त किया हो, या
	(दो) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
	(तीन) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो ।
	टिप्पणी:- उक्तांकित अधिमानी अर्हता के कोई अंक नहीं होंगें, बल्कि दो या दो से अधिक
	अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में अधिमानी अर्हता के अभ्यर्थियों को अन्तिम
	चयन सूची में नियम 15(ङ) के अधीन वरीयता दी जायेगी।
	(* अधिसूचना संख्याः 2/15/2678/6-पु-1-15-53-2015, दिनांक 03.12.2015 द्वारा
	संशोधित)
आयु	10- सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि जिस कैलेण्डर वर्ष में सीधी भर्ती की रिक्तियां
	विज्ञापित की जाए, उसकी जुलाई के प्रथम दिन अभ्यर्थी ने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो
	और 28 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो;
	परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों से
	सम्बन्धित अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी बोर्ड
	द्वारा रिक्तियों की अधिसूचना के समय अधिनियम में और लागू सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट
	की जाये।
	(** अधिसूचना संख्याः 21/2016/2739/6-पु-1-16-53-2015, दिनांक 26.12.2016
	द्वारा संशोधित)
चरित्र	11- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह
	सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस
	सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेंगे।
	टिप्पणी:- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य
	सरकार के स्वामित्वाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या
	निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी
	अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।
वैवाहिक प्रास्थिति	12- ऐसा कोई पुरूष/स्त्री:-
	(क) जिसने किसी ऐसी स्त्री / पुरुष से विवाह किया हो/ की हो जिसका पहले से जीवित
	पति/पत्नी हो; या
	(ख) जिसकी पति/पत्नी के जीवित होते हुए उसने किसी स्त्री / पुरुष से विवाह किया हो,
	उक्त सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा;
	परन्तु राज्य सरकार का यदि इस बात का समाधान हो जाय कि विवाह हेतु ऐसे
	व्यक्ति और अन्य पक्ष के लिये लागू परसनल लॉ के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है और ऐसा
	करने के अन्य आधार हैं तो वह ऐसे किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती
	है।
	(**** अधिसूचना संख्याः 6/2018/2169/6-पु-1-18-53-2015, दिनांक 30.05.2018



	द्वारा संशोधित)				
शारीरिक	13- किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि				
स्वस्थता	मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक				
	दोष से युक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की				
	सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के				
	पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में सफल हो जाये।				
	टिप्पणी:- चिकित्सा बोर्ड अभ्यर्थी की यथास्थिति ऊँचाई, उसके सीने और भार के माप के				
	लिए विहित शारीरिक मानक का परीक्षण करेगा और नाक- नी, बो लेग्स, फ्लैट फीट,				
	वेरीकोस वेंस, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस(पूर्ण एवं आंशिक), श्रवण परीक्षण,				
	जिसमें रिनेज परीक्षण, बेब्बर्स परीक्षण और वर्टिगो परीक्षण, वाक दोष आदि समाविष्ट हैं, तथा				
	ऐसी अन्य किमयों, जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये, का				
	भी परीक्षण करेगा।				

भाग-5 भर्ती हेतु प्रक्रिया

रिक्तियों का	14- नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम					
अवधारण	- 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों					
	के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना					
	विभागाध्यक्ष को देगा। विभागाध्यक्ष रिक्तियों की संख्या बोर्ड एवं सरकार को भी सूचित करेगा					
	तत्पश्चात, बोर्ड निम्नलिखित रीति से रिक्तियाँ अधिसूचित करेगा:-					
	(1) व्यापक प्रसार वाले दैनिक हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करके;					
	(2) कार्यालय के सूचना पट्ट पर नोटिस चस्पा करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य					
	रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा;					
	(3) रोजगार कार्यालय को अधिसूचित करके; और					
	(4) जन संचार के अन्य माध्यमों द्वारा।					
	(**** अधिसूचना संख्याः 6/2018/2169/6-पु-1-18-53-2015, दिनांक 30.05.2018					
	द्वारा संशोधित)					
उपनिरीक्षक के	15-					
पद पर सीधी भर्ती	(क) आवेदन – पत्र एवं बुलावा पत्र					
की प्रक्रिया	अभ्यर्थी केवल एक आवेदन पत्र भरेगा । बोर्ड केवल आनलाइन आवेदन-पत्र स्वीकार					
	करेगा। एक से अधिक आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी के आवेदन – पत्र बोर्ड द्वारा निरस्त किया					
	जा सकता है। विभागाध्यक्ष, बोर्ड से विचार-विमर्श कर किसी भर्ती के लिए आवेदन शुल्क					
	नियत करेंगे। आवेदन-पत्र भरने एवं बुलावा पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में विस्तृत प्रक्रिया					
	बोर्ड द्वारा निर्धारित की जायेगी एवं इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।					
	सरकार, प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय किसी भर्ती के लिए रिक्तियों की संख्या					



परिवर्तित कर सकती है और किसी भर्ती को किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकती है।

(ख) लिखित परीक्षा

ऐसे अभ्यर्थी, जिनके आवेदन सही पाये जाते हैं, उनसे 400 अंकों की लिखित परीक्षा में सिम्मिलत होने की अपेक्षा की जायेगी। इस लिखित परीक्षा में, बोर्ड निम्निलखित विषयों का एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्नपत्र रखेगा:-

विषय	अधिकतम अंक
1. सामान्य हिन्दी	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)
2. मूलविधि/संविधान / सामान्य ज्ञान	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)
3. संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)
परीक्षा	
4. मानसिक अभिरुचि परीक्षा/	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)
बुद्धिलब्धि परीक्षा / तार्किक परीक्षा	

लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35 प्रतिशत अंक और कुल 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम का विनिश्चय बोर्ड द्वारा किया जायेगा और अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। बोर्ड, लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न प्रश्नपत्र के साथ विभिन्न पालियों में कलम और कागज आधारित लिखित परीक्षा (ओएमआर) प्रणाली अथवा कम्प्यूटर आधारित लिखित परीक्षा प्रणाली के माध्यम से संचालित करने के लिए अपने स्तर से विनिश्चय करेगा।

टिप्पणी:-

- 1. लिखित परीक्षा के लिये विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा अवधारित की जायेगी और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।
- 2. यदि बोर्ड एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनाकों को विभिन्न पालियों में विभिन्न प्रश्नपत्रों के साथ लिखित परीक्षा संचालित करने के लिये विनिश्चय करता है तो बोर्ड, अपने स्तर पर ऐसी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रसामान्यीकरण प्रक्रिया का, यदि आवश्यक हो, विनिश्चय कर सकता है और इसे अपने वेबसाइट में प्रदर्शित करेगा।

(****** अधिसूचना संख्याः 1350/6-पु-1-19-53-2015, दिनांक 30.07.2019 द्वारा संशोधित)

(ग) अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा

खण्ड (ख) के अधीन लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। श्रेष्ठता के आधार पर इस परीक्षा में बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, बोर्ड द्वारा कुल



रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए अपने स्तर से निर्धारित की जायेगी । अभ्यर्थियों के इस परीक्षा हेतु शारीरिक मापदण्ड निम्न होंगे:-

(1) पुरुष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है:

(क) ऊँचाई:-

- (क) सामान्य / अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 168 सेन्टीमीटर है।
- (ख) अनुसूचित जनजातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 160 सेन्टीमीटर है।

(ख) सीनाः-

सामान्य/अन्य पिछड़े जातियों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर एवं अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिये 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा।

टिप्पणी:- न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है।

(2) महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है:-

(क) ऊँचाई:-

- (एक) सामान्य / अन्य पिछड़े तथा अनुसूचित जातियों के महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 152 सेन्टीमीटर है।
- (दो) अनुसूचित जनजातियों के महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 147 सेन्टीमीटर है।

(ख)वजनः

महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम।

इस परीक्षा को कराये जाने हेतु बोर्ड द्वारा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित किसी डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा। जिसमें जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होंगे। यदि बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाती है तो समिति के अन्य सदस्य को जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित किये जायेंगे।

इस परीक्षा को कराये जाने की प्रक्रिया बोर्ड द्वारा निर्धारित कर अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

कोई अभ्यर्थी जो अपनी शारीरिक मानक परीक्षा से असंतुष्ट हो, ठीक परीक्षण के उपरान्त उसी दिन आपित्त दाखिल कर सकता है। ऐसे समस्त प्रकरणों की आपित्त के निस्तारण के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नामित किया जायेगा एवं ऐसे सभी अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण, दल द्वारा उपरोक्त नामित अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थित में पुनः कराया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो पुनः



कराये गये शारीरिक मानक परीक्षण में असफल पाये जाते है, उन्हें भर्ती हेतु अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा एवं तदोपरान्त किसी प्रकार की अपील स्वीकार नहीं की जायेगी।

(घ) शारीरिक दक्षता परीक्षा:-

खण्ड (ग) के अनुसार अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिए पुरूष अभ्यर्थी को 4.8 किमी0 की दौड़ 28 मिनट में और महिला अभ्यर्थी को 2.4 किमी0 की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। जो अभ्यर्थी नियत समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं, वे भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया बोर्ड द्वारा निर्धारित कर अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी। इस परीक्षा को कराये जाने हेतु बोर्ड द्वारा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित किसी डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमें जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होंगे। यदि बोर्ड द्वारा जामेत किये जाती है तो समिति के अन्य सदस्य जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित किये जायेंगे।

(ङ) चयन तथा अन्तिम श्रेष्ठता सूची-

खण्ड (घ) के अधीन शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों में से, उनके द्वारा खण्ड (ख) के अधीन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण नीति के दृष्टिगत, बोर्ड रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता के क्रम के अनुसार चयन सूची तैयार करेगा और उसे संस्तुति सहित चिकित्सा परीक्ष चिरित्र सत्यापन के अधीन विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेगा। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जायेगी। बोर्ड द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के साथ समस्त अभ्यथियों की सूची अपनी वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी। विभागाध्यक्ष बोर्ड द्वारा प्रेषित सूची को अनुमोदनोपरान्त अग्रतर कार्यवाही हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

टिप्पणी:- यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते है, तो श्रेष्ठता सूची का विनिश्चय निम्नलिखित आदेश में दी गयी प्रक्रियानुसार किया जायेगा:-

- (1) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो तो, ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी जो अधिमानी अर्हता (नियम-9 में यथा उल्लिखित क्रम के अनुसार), यदि कोई हो, रखते हो। एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा।
- (2) उपर्युक्त के होते हुए भी यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी।
- (3) यदि उपरिलिखित के बावजूद भी एक से अधिक अभ्यर्थी समान हो, तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता, उनके हाईस्कूल प्रमाण पत्र में यथा उल्लिखित नाम के अंग्रेजी



वर्णमाला के क्रम के अनुसार, निर्धारित की जायेगी।

(च) चिकित्सा परीक्षा

खण्ड (ड.) के अनुसार चयन सूची में स्थान रखने वाले अभ्यर्थियों से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षण में सम्मिलत होने की अपेक्षा की जाएगी। चिकित्सा परीक्षा हेतु सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा परिषद का गठन किया जायेगा जिसमें 03 चिकित्सक रखे जायेंगे जो महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य के परामर्श द्वारा विहित और कोड किये गये "पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र" के अनुसार अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षण करेगा। जो अभ्यर्थी अपनी चिकित्सा परीक्षा से असंतुष्ट हो, वह ठीक परीक्षा के दिन इस सम्बन्ध में अपील फाइल कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपने चिकित्सा परीक्षा और उसके परिणाम की घोषणा के दिनांक के बाद किसी दिन अपील करता है तो उसकी किसी अपील पर विचार नहीं किया जायेगा। अपील की सुनवाई हेतु गठित मण्डलीय चिकित्सा परिषद में सम्बन्धित चिकित्सा दोष का विशेषज्ञ होना आवश्यक होगा। चिकित्सा परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी किये जायेंगे। चिकित्सा परीक्षण में असफल पाये गये अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रेतर चयन के लिए आगे ले जाया जाएगा।

(* अधिसूचना संख्याः **2/15/2678/6-**पु-1-15-53-2015, दिनांक **03.12.2015** द्वारा संशोधित)

चरित्र सत्यापन

16- नियुक्ति पत्र जारी किये जाने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन, अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पर भेजे जाने के पहले, चरित्र सत्यापन का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। सामान्यतयः चरित्र का सत्यापन एक माह के भीतर पूर्ण कर लिया जायेगा। किसी अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन के दौरान कोई प्रतिकूल तथ्य सामने आने पर, उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रतर चयन के लिए आगे ले जाया जायेगा।

प्रोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

17- **(1)** उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति-

उपनिरीक्षक के पद पर नियुक्ति, मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के रूप में मौलिक रूप से नियुक्त किये गये पात्र कर्मियों में से निम्नलिखित रीति में की जायेगी:-

(क) उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के स्वीकृत पदों के कुल संख्या में से पचास प्रतिशत पदों को अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नित के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस में से भरे जायेंगे, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अविध सिहत तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

(*** अधिसूचना संख्याः 6/2017/2458/6-पु-1-17-53-2015, दिनांक 07.12.2017 द्वारा संशोधित)

(ख)खण्ड (क) के अधीन उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों पर पदोन्नित के लिए उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के निःसंवर्गीय पदों पर पदोन्नित ऐसे मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस भी पात्र होंगे जो अर्हताओं को पूरा करते हों।



(2) निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति:-

निरीक्षक, नागरिक पुलिस के पद पर नियुक्ति, उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस के रूप में मौलिक रूप से नियुक्त किये गये पात्र कार्मिकों में से निम्नलिखित नीति के अनुसार की जायेगी:-

(क) निरीक्षक नागरिक पुलिस के शत् प्रतिशत कुल स्वीकृत पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर, बोर्ड द्वारा पदोन्नित के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस में से भरे जायेंगे, जिन्होंने पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा तैयार किये गये निरीक्षक, नागरिक पुलिस पदोन्नित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अविध को सम्मिलित करते हुए इस रूप में सात वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो।

(***** अधिसूचना संख्याः 11/2018/4062/6-पु-1-18-53-2015, दिनांक 15.11.2018 द्वारा संशोधित)

(क) खण्ड (क) के अधीन निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों पर पदोन्नित के लिए निरीक्षक नागरिक पुलिस के निःसंवर्गीय पदों पर पदोन्नित ऐसे उप निरीक्षक नागरिक पुलिस भी पात्र होंगे जो अर्हताओं को पूरा करते हों।

(3) पदोन्नति हेतु चयन समिति:-

- (क) पदोन्नति हेतु चयन समिति बोर्ड द्वारा गठित की जायेगी।
- (ख) समिति का अध्यक्ष बोर्ड द्वारा नामित होगा तथा जिस पद पर प्रोन्नित के लिये चयन समिति गठित हुई है उस पद के नियुक्ति प्राधिकारी से किनष्ठ नहीं होगा। समिति में उपयुक्त स्तर का एक सदस्य विभागाध्यक्ष द्वारा नामित किया जायेगा और समिति के शेष सदस्य तत्समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार बोर्ड द्वारा नामित किये जायेगें।
- (ग) पदोन्नित हेतु निर्विवाद ज्येष्ठता सूची पुलिस मुख्यालय द्वारा बोर्ड को उपलब्ध करायी जायेगी।
- (घ) चयन समिति सफल अभ्यर्थियों का परिणाम अपनी संस्तुति सहित बोर्ड को प्रस्तुत करेगा। बोर्ड चयनित अभ्यर्थियों की सूची अपनी संस्तुति सहित विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा। सूची विज्ञापित रिक्तियों से अधिक की नहीं होगी।
- (ङ) विभागाध्यक्ष अपने अनुमोदन के उपरान्त सूची को नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे जो प्रोन्नति हेतु अंतिम आदेश निर्गत करेगा।
- (च) प्रोन्नित हेतु चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची विभागाध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट तथा उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट (website) पर प्रदर्शित की जायेगी।

भाग-6 प्रशिक्षण, नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण, और ज्येष्ठता



नियुक्ति	18-(1) नियम-15 एवं 16 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों के
	नामों को उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम-15 के खण्ड (ङ) के अधीन तैयार की गयी
	सूची में हो, नियुक्त करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को इस निदेश के साथ नियुक्ति पत्र
	जारी करेगा कि वे पत्र के जारी किये जाने के दिनॉक से या नियुक्ति पत्र में इस प्रयोजनार्थ
	विनिर्दिष्ट किसी दिनॉक से एक माह के भीतर सेवा/प्रशिक्षण के लिये उपस्थित हों। किसी
	अभ्यर्थी द्वारा ऐसा न करने पर उनके चयन/नियुक्ति को निरस्त कर दिया जायेगाः
	परन्तु यह कि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में किसी पद पर मौलिक रुप
	से नियुक्त और कार्यरत किसी व्यक्ति को इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त
	किया गया समझा जायेगा।
	(* अधिसूचना संख्याः 2/15/2678/6-पु-1-15-53-2015, दिनांक 03.12.2015 द्वारा
	संशोधित)
	(2) नियम-17 के अन्तर्गत यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्तियों के एक से अधिक
	आदेश जारी किये जायें तो, एक संयुक्त सम्मिलित आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें
	व्यक्तियों के नामो का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसी यथास्थिति चयन मे
	अवधारित की जाये या जैसी की उस संवर्ग में हों जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय:
	परन्तु यह कि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में किसी पद पर नियुक्त और
	उक्त पद पर कार्यरत किसी व्यक्ति को इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त हुआ
	समझा जायेगा और ऐसी मौलिक नियुक्ति कोइ नियमावली के अधीन की गयी नियुक्ति समझी
	जायेगी।
प्रशिक्षण	जायेगी। 19 - (1)(क) उपनिरीक्षक के पद पर नियम-15 और 16 के अधीन अन्तिम रूप से चयनित
प्रशिक्षण	
प्रशिक्षण	19 – (1)(क) उपनिरीक्षक के पद पर नियम-15 और 16 के अधीन अन्तिम रूप से चयनित
प्रशिक्षण	19 - (1)(क) उपनिरीक्षक के पद पर नियम-15 और 16 के अधीन अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों से विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किये गये प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी। बेसिक प्रशिक्षण की अविध में कैडेटों पर पुलिस ट्रेनिंग कालेज मैनुअल में निहित
प्रशिक्षण	19 – (1)(क) उपनिरीक्षक के पद पर नियम-15 और 16 के अधीन अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों से विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किये गये प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी। बेसिक प्रशिक्षण की अविध में कैडेटों पर पुलिस ट्रेनिंग कालेज मैनुअल में निहित प्रावधान प्रभावी होंगें। बेसिक प्रशिक्षण हेतु अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थी द्वारा यदि
प्रशिक्षण	19 - (1)(क) उपनिरीक्षक के पद पर नियम-15 और 16 के अधीन अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों से विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किये गये प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी। बेसिक प्रशिक्षण की अविध में कैडेटों पर पुलिस ट्रेनिंग कालेज मैनुअल में निहित
प्रशिक्षण	19 – (1)(क) उपनिरीक्षक के पद पर नियम-15 और 16 के अधीन अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों से विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किये गये प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी। बेसिक प्रशिक्षण की अविध में कैडेटों पर पुलिस ट्रेनिंग कालेज मैनुअल में निहित प्रावधान प्रभावी होंगें। बेसिक प्रशिक्षण हेतु अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थी द्वारा यदि निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपना योगदान प्रशिक्षण हेतु नही देता है तो उसका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
प्रशिक्षण	19 - (1)(क) उपनिरीक्षक के पद पर नियम-15 और 16 के अधीन अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों से विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किये गये प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी। बेसिक प्रशिक्षण की अविध में कैडेटों पर पुलिस ट्रेनिंग कालेज मैनुअल में निहित प्रावधान प्रभावी होंगें। बेसिक प्रशिक्षण हेतु अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थी द्वारा यदि निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपना योगदान प्रशिक्षण हेतु नही देता है तो उसका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। (ख) बेसिक प्रशिक्षण में असफल हुए कैडेटों को पूरक प्रशिक्षण कराकर पुनः
प्रशिक्षण	19 – (1)(क) उपनिरीक्षक के पद पर नियम-15 और 16 के अधीन अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों से विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किये गये प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी। बेसिक प्रशिक्षण की अविध में कैडेटों पर पुलिस ट्रेनिंग कालेज मैनुअल में निहित प्रावधान प्रभावी होंगें। बेसिक प्रशिक्षण हेतु अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थी द्वारा यदि निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपना योगदान प्रशिक्षण हेतु नही देता है तो उसका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। (ख) बेसिक प्रशिक्षण में असफल हुए कैडेटों को पूरक प्रशिक्षण कराकर पुनः प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। पूरक प्रशिक्षण के पश्चात
प्रशिक्षण	19 - (1)(क) उपनिरीक्षक के पद पर नियम-15 और 16 के अधीन अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों से विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किये गये प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी। बेसिक प्रशिक्षण की अविध में कैडेटों पर पुलिस ट्रेनिंग कालेज मैनुअल में निहित प्रावधान प्रभावी होंगें। बेसिक प्रशिक्षण हेतु अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थी द्वारा यदि निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपना योगदान प्रशिक्षण हेतु नही देता है तो उसका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। (ख) बेसिक प्रशिक्षण में असफल हुए कैडेटों को पूरक प्रशिक्षण कराकर पुनः
प्रशिक्षण	19 – (1)(क) उपनिरीक्षक के पद पर नियम-15 और 16 के अधीन अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों से विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किये गये प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी। बेसिक प्रशिक्षण की अविध में कैडेटों पर पुलिस ट्रेनिंग कालेज मैनुअल में निहित प्रावधान प्रभावी होंगें। बेसिक प्रशिक्षण हेतु अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थी द्वारा यदि निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपना योगदान प्रशिक्षण हेतु नहीं देता है तो उसका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। (ख) बेसिक प्रशिक्षण में असफल हुए कैडेटों को पूरक प्रशिक्षण कराकर पुनः प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। पूरक प्रशिक्षण के पश्चात प्रशिक्षण परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उनकी सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
प्रशिक्षण	19 – (1)(क) उपनिरीक्षक के पद पर नियम-15 और 16 के अधीन अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों से विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किये गये प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी। बेसिक प्रशिक्षण की अविध में कैडेटों पर पुलिस ट्रेनिंग कालेज मैनुअल में निहित प्रावधान प्रभावी होंगें। बेसिक प्रशिक्षण हेतु अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थी द्वारा यदि निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपना योगदान प्रशिक्षण हेतु नहीं देता है तो उसका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। (ख) बेसिक प्रशिक्षण में असफल हुए कैडेटों को पूरक प्रशिक्षण कराकर पुनः प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। पूरक प्रशिक्षण के पश्चात प्रशिक्षण परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उनकी सेवा समाप्त करने
प्रशिक्षण	19 – (1)(क) उपनिरीक्षक के पद पर नियम-15 और 16 के अधीन अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों से विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किये गये प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी। बेसिक प्रशिक्षण की अविध में कैडेटों पर पुलिस ट्रेनिंग कालेज मैनुअल में निहित प्रावधान प्रभावी होंगें। बेसिक प्रशिक्षण हेतु अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थी द्वारा यदि निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपना योगदान प्रशिक्षण हेतु नही देता है तो उसका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। (ख) बेसिक प्रशिक्षण में असफल हुए कैडेटों को पूरक प्रशिक्षण कराकर पुनः प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। पूरक प्रशिक्षण के पश्चात प्रशिक्षण परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उनकी सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी। (2) नियम-17 के अधीन पदोन्नित से पूर्व अभ्यर्थियों के लिये विहित प्रशिक्षण पूर्ण करना अनिवार्य है।
प्रशिक्षण	19 – (1)(क) उपनिरीक्षक के पद पर नियम-15 और 16 के अधीन अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों से विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किये गये प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी। बेसिक प्रशिक्षण की अविध में कैडेटों पर पुलिस ट्रेनिंग कालेज मैनुअल में निहित प्रावधान प्रभावी होंगें। बेसिक प्रशिक्षण हेतु अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थी द्वारा यदि निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपना योगदान प्रशिक्षण हेतु नही देता है तो उसका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। (ख) बेसिक प्रशिक्षण में असफल हुए कैडेटों को पूरक प्रशिक्षण कराकर पुनः प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। पूरक प्रशिक्षण के पश्चात प्रशिक्षण परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उनकी सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी। (2) नियम-17 के अधीन पदोन्नित से पूर्व अभ्यर्थियों के लिये विहित प्रशिक्षण पूर्ण करना अनिवार्य है। (****** अधिसूचना संख्याः 11/2018/4062/6-पु-1-18-53-2015, दिनांक 15.11.2018
	19 – (1)(क) उपनिरीक्षक के पद पर नियम-15 और 16 के अधीन अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों से विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किये गये प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी। बेसिक प्रशिक्षण की अविध में कैडेटों पर पुलिस ट्रेनिंग कालेज मैनुअल में निहित प्रावधान प्रभावी होंगें। बेसिक प्रशिक्षण हेतु अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थी द्वारा यदि निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपना योगदान प्रशिक्षण हेतु नहीं देता है तो उसका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। (ख) बेसिक प्रशिक्षण में असफल हुए कैडेटों को पूरक प्रशिक्षण कराकर पुनः प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। पूरक प्रशिक्षण के पश्चात प्रशिक्षण परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उनकी सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी। (2) नियम-17 के अधीन पदोन्नित से पूर्व अभ्यर्थियों के लिये विहित प्रशिक्षण पूर्ण करना अनिवार्य है। (***** अधिसूचना संख्याः 11/2018/4062/6-पु-1-18-53-2015, दिनांक 15.11.2018 द्वारा संशोधित)
प्रशिक्षण	19 – (1)(क) उपनिरीक्षक के पद पर नियम-15 और 16 के अधीन अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों से विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किये गये प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी। बेसिक प्रशिक्षण की अवधि में कैडेटों पर पुलिस ट्रेनिंग कालेज मैनुअल में निहित प्रावधान प्रभावी होंगें। बेसिक प्रशिक्षण हेतु अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थी द्वारा यदि निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपना योगदान प्रशिक्षण हेतु नहीं देता है तो उसका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। (ख) बेसिक प्रशिक्षण में असफल हुए कैडेटों को पूरक प्रशिक्षण कराकर पुनः प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। पूरक प्रशिक्षण के पश्चात प्रशिक्षण परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उनकी सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी। (2) नियम-17 के अधीन पदोन्नित से पूर्व अभ्यर्थियों के लिये विहित प्रशिक्षण पूर्ण करना अनिवार्य है। (***** अधिसूचना संख्याः 11/2018/4062/6-पु-1-18-53-2015, दिनांक 15.11.2018 द्वारा संशोधित) 20- (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए
	19 – (1)(क) उपनिरीक्षक के पद पर नियम-15 और 16 के अधीन अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों से विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किये गये प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी। बेसिक प्रशिक्षण की अविध में कैडेटों पर पुलिस ट्रेनिंग कालेज मैनुअल में निहित प्रावधान प्रभावी होंगें। बेसिक प्रशिक्षण हेतु अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थी द्वारा यदि निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपना योगदान प्रशिक्षण हेतु नहीं देता है तो उसका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। (ख) बेसिक प्रशिक्षण में असफल हुए कैडेटों को पूरक प्रशिक्षण कराकर पुनः प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। पूरक प्रशिक्षण के पश्चात प्रशिक्षण परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उनकी सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी। (2) नियम-17 के अधीन पदोन्नित से पूर्व अभ्यर्थियों के लिये विहित प्रशिक्षण पूर्ण करना अनिवार्य है। (***** अधिसूचना संख्याः 11/2018/4062/6-पु-1-18-53-2015, दिनांक 15.11.2018 द्वारा संशोधित)



	जाएगी जैसा विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाये।					
	(3) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जाएंगे अलग अलग मामलों में					
	परिवीक्षा अविध को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब तक					
	अवधि बढ़ाई जाय:					
	परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष					
	से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढायी जायेगी।					
	(4) यदि परिवीक्षा अविध या बढायी गयी परिवीक्षा अविध के दौरान किसी भी समय या					
	उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने बढ़ायी गयी					
	परिवीक्षा अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी के संतोषानुसार पर्याप्त सुधार नहीं किया					
	उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका					
	किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।					
	(5) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (4) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाये या					
	जिसकी सेवायें समाप्त की जायें किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।					
	(6) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सिम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या					
	उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की					
	संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।					
स्थायीकरण	21-(1) नियम 20 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा					
	अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा।					
	यदि,-					
	(क) उसके द्वारा विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया हो, और					
	(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक रहा हो; और					
	(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की गयी हो।					
	(2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के					
	उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहाँ उस नियमावली के नियम-5 के उप					
	नियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि संबंधित व्यक्ति ने परिवीक्षा अविध					
	सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।					
ज्येष्ठता	22- सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता निम्नानुसार निर्धारित					
	की जायेगी:-					
	1- <u>दिनांक 02-12-08 से पूर्व भर्ती उपनिरीक्षक की ज्येष्ठता का निर्धारण</u>					
	(क) किसी भी प्रकार से भर्ती किये गये ऐसे उपनिरीक्षक जिन्होंने एक साथ प्रशिक्षण प्राप्त					
	किया हो, की ज्येष्ठता प्रशिक्षण संस्थानों में चयन के पश्चात प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के प्रतिशत					
	के अनुसार होगी।					
	(ख) एक प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किये समस्त उपनिरीक्षक पूर्ववर्ती प्रशिक्षण सत्र में					
	प्रशिक्षण प्राप्त किये समस्त उपनिरीक्षकों से किनष्ठ तथा पश्चात्वर्ती प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण					
	प्राप्त किये समस्त उपनिरीक्षकों से ज्येष्ठ होंगे। प्रतिबन्ध यह है कि यदि सीधी भर्ती तथा					
	पदोन्नित से नियुक्त उपनिरीक्षक एक ही प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो उस दशा					



में उनकी ज्येष्ठता जहाँ तक हो सके दोनों स्त्रोतों के लिए विहित कोटा के अनुसार चक्रानुक्रम में (प्रथम स्थान पदोन्नत व्यक्ति का होगा) निर्धारित की जायेगी।

2- दिनांक 02-12-08 से पश्चात भर्ती उपनिरीक्षक की ज्येष्ठता का निर्धारण

- (क) किसी भी प्रकार के चयन से नियुक्त किये गये उपनिरीक्षक की वरिष्ठता उनके चयन की तिथि से निर्धारित की जायेगी। यहाँ चयन की तिथि का तात्पर्य भर्ती प्रक्रिया के उपरान्त बोर्ड अथवा चयन समिति द्वारा भेजी गयी चयन सूची को विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किये जाने की तिथि से है।
- (ख) बोर्ड द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से उपनिरीक्षकों का चयन एक पृथक चयन माना जायेगा। सीधी भर्ती के अधीन एकल चयन में भर्ती किये गये उपनिरीक्षकों की पारस्परिक ज्येष्ठता बोर्ड द्वारा जारी की गयी अन्तिम चयन सूची के क्रम के अनुसार होगी किन्तु यदि किसी वर्ष में, उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों में होने वाली रिक्तियों के सापेक्ष, महिला एवं पुरूष अभ्यर्थियों के लिए सीधी भर्ती एक साथ की जाती है तो चयनित महिला एवं पुरूष अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता का विनिश्चय एक साथ, उनके द्वारा इन चयन प्रक्रियाओं में प्राप्त अंको के आधार पर किया जायेगा, भले ही दोनों भर्तियों में चयन का दिनांक अलग-अलग हो। इस सम्बन्ध में भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करने तथा उनके परिणाम घोषित किये जाने के पश्चात बोर्ड उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद हेतु चयनित समस्त पुरूष एवं महिला अभ्यर्थियों की उनके द्वारा भर्ती प्रक्रियाओं में प्राप्त अंको के आधार पर अलग से संयुक्त योग्यता सूची तैयार करेगा और उसे पुलिस मुख्यालय को प्रेषित करेगा। तत्पश्चात पुलिस के पद पर ज्येष्ठता का विनिश्चय संयुक्त योग्यता सूची के आधार पर एक साथ करेगा।

(** अधिसूचना संख्याः 21/2016/2739/6-पु-1-16-53-2015, दिनांक 26.12.2016 द्वारा संशोधित)

- (ग) मृत्क आश्रित श्रेणी के अन्तर्गत भर्ती उपनिरीक्षकों एवं कुशल खिलाड़ियों की नियमावली, 2011 के अन्तर्गत भर्ती उपनिरीक्षकों के चयन को एक सीधी भर्ती का पृथक चयन माना जायेगा। इस प्रकार से भर्ती उपनिरीक्षकों की पारस्परिक विरष्ठता प्रशिक्षण संस्थानों में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के अनुसार निर्धारित होगी। एक प्रशिक्षण सत्र में एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण संस्थानों में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के समान होने पर उनकी जन्मतिथि की विरष्ठता को ही पारस्परिक विरष्ठता निर्धारण का आधार बनाया जायेगा। अंकों का प्रतिशत एवं जन्मतिथि समान होने पर हाई स्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित नामों के अग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार विरष्ठता निर्धारित की जायेगी।
- (घ) पदोन्नित के माध्यम से नियुक्त उपनिरीक्षकों को पृथक चयन माना जायेगा। अगर उपनिरीक्षक पद पर पदोन्नित किसी परीक्षा के माध्यम से की गयी हैं तो प्रोन्नित के उपरान्त नियुक्त किये गये उपनिरीक्षकों की पारस्परिक ज्येष्ठता बोर्ड द्वारा निर्गत अन्तिम चयन सूची के अनुसार होगी। अगर उपनिरीक्षक पद पर पदोन्नित ज्येष्ठता के आधार पर की जाती है तो वहाँ एक चयन तिथि में नियुक्त किये गये उपनिरीक्षकों की पारस्परिक ज्येष्ठता उनके पोषक संवर्ग में वरिष्ठता के अनुरूप होगी तथा पूर्ववर्ती वर्ष में चयनित उपनिरीक्षक पश्चातवर्ती वर्ष में



चयनित उपनिरीक्षकों से ज्येष्ठ होंगे।

3- निरीक्षक नागरिक पुलिस की ज्येष्ठता का अवधारणः

पदोन्नित के आधार पर नियुक्त निरीक्षकों की ज्येष्ठता उनके चयन के दिनांक से अवधारित की जायेगी। एक ही चयन दिनांक को नियुक्त निरीक्षकों की पारस्परिक ज्येष्ठता उनके पोषक सवंर्ग में उनकी ज्येष्ठता के अनुसार होगी तथा पूर्ववर्ती वर्ष में चयनित निरीक्षक पश्चातवर्ती वर्ष में चयनित निरीक्षकों से ज्येष्ठ होंगे। यहाँ चयन के दिनांक का तात्पर्य उस दिनांक से है, जिस दिनांक को विभागाध्यक्ष, भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण किये जाने के पश्चात बोर्ड या चयन समिति द्वारा प्रेषित की गयी चयन सूची को अनुमोदित करे।

(*** अधिसूचना संख्याः 6/2017/2458/6-पु-1-17-53-2015, दिनांक 07.12.2017 द्वारा संशोधित)

- **4-** विभाग द्वारा किसी विशेष प्रकरण में पूर्व निर्धारित की गयी नीति के अनुसार ज्येष्ठता का निर्धारण यथावत् बना रहेगा।
- **5-** उपरोक्त के होते हुए भी अगर ज्येष्ठता के सम्बन्ध में कोई अन्य तथ्य प्रकाश में आते हैं अथवा कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका निवारण विभागाध्यक्ष द्वारा तर्कसंगत नीति के अनुसार किया जायेगा।

भाग-7 वेतन इत्यादि

वे	त	7	H	ान	•

23- वेतनमान

- (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित किया जाय।
- (2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नानुसार दिए गए है:-

पद का नाम	वेतनमान
1. उप निरीक्षक	रु0 9300-34800 ਸ਼ੇਤ ਧੇ-4200
2. निरीक्षक	रु0 9300-34800 ਸ਼ੇਤ ਧੇ-4600

परिवीक्षा अवधि में वेतन

24- (1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हों, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो एवं प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अविध पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो:

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परीवीक्षा अविध बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अविध की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा



0 / /	•	/.	\sim	\
थताध्र म ततन	जजात फ	गारामटल ऊल	य दांग तिनिंगीम्ट	र टागा ।
DIGITAL TARTE	77717171 7		स द्वारा विनियमित	I QI'II I

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हों, परिवीक्षा अविध में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग-8 अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन	25- किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं			
	सिफारिशों पर चाहे लिखित हों या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की			
	ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई			
	प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।			
अन्य विषयों का	26- ऐसे विषयों के संबंध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली के अन्तर्गत न आते हों, या			
विनियमन	सेवा में नियुक्त व्यक्ति पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों, विनियमों और			
	आदेशों के अनुसार शासित होंगे।			
सेवा की शर्तों में	27- जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की			
शिथिलता	शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक			
	कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामलें में लागू नियमों में से किसी बात के होते हुये भी, आदेश			
	द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हें			
	वह मामलें में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे,			
	अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।			
व्यावृत्ति	28- इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतें पर नहीं			
	पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशो के			
	अनुसार अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियो और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के			
	लिये उपबन्धं किया जाना अपेक्षित हो ।			

परिशिष्टः 1, 2, 3, 4 एवं 5 के स्थान पर परिशिष्ट का रखा जाना।

(* अधिसूचना संख्याः 2/15/2678/6-पु-1-15-53-2015, दिनांक 03.12.2015 द्वारा संशोधित)

परिशिष्ट - निकाल दिया गया।

(****** अधिसूचना संख्याः 1350/6-पु-1-19-53-2015, दिनांक 30.07.2019 द्वारा संशोधित)



प्रमुख सचिव, गृह

नोटः-

- (1) * अधिसूचना संख्याः 2/15/2678/6-पु-1-15-53-2015, दिनांक 03.12.2015 द्वारा संशोधित (उत्तर प्रदेश उप-निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (प्रथम संशोधन) निमयावली, 2015)
- (2) ** अधिसूचना संख्याः 21/2016/2739/6-पु-1-16-53-2015, दिनांक 26.12.2016 द्वारा संशोधित (उत्तर प्रदेश उप-निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (द्वितीय संशोधन) निमयावली, 2016)
- (3) *** अधिसूचना संख्याः 6/2017/2458/6-पु-1-17-53-2015, दिनांक 07.12.2017 द्वारा संशोधित (उत्तर प्रदेश उप-निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (तृतीय संशोधन) निमयावली, 2017)
- (4) **** अधिसूचना संख्याः 6/2018/2169/6-पु-1-18-53-2015, दिनांक 30.05.2018 द्वारा संशोधित (उत्तर प्रदेश उप-निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (चतुर्थ संशोधन) निमयावली, 2018)
- (5) ***** अधिसूचना संख्याः 11/2018/4062/6-पु-1-18-53-2015, दिनांक 15.11.2018 द्वारा संशोधित (उत्तर प्रदेश उप-निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (पंचम संशोधन) निमयावली, 2018)
- (6) ****** अधिसूचना संख्याः 1350/6-पु-1-19-53-2015, दिनांक 30.07.2019 द्वारा संशोधित (उत्तर प्रदेश उप-निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (छठवॉ संशोधन) निमयावली, 2019)



Uttar Pradesh Shasan Grih (Police) Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification no. 1835/6-pu-1-15-53/2015 dated: 19 August 2015 for general information.

NOTIFICATION

Miscellaneous

No. 1835/6-pu-1-15-53/2015 Lucknow Dated: 19 August, 2015

In exercise of the powers under clause (c) of sub-section (2) of section 46 read with sub-sections (3) of the said section and section-2 of the Police Act, 1861 (Act no. 5 of 1861) and all other powers enabling him in this behalf and in supersession of all existing rules or orders issued, in this behalf, the Governor is pleased to make the following rules with a view to regulating the selection, promotion, training, appointment, determination of seniority and confirmation etc. of sub-inspectors and inspectors of the Civil Police in Uttar Pradesh Police Force:

THE UTTAR PRADESH SUB-INSPECTOR AND INSPECTOR (CIVIL POLICE) SERVICE RULES, 2015

PART-I-GENERAL

Short titles and commencement	1- (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Sub-Inspector and 7Inspector (Civil Police) Services Rules, 2015.(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.		
Status of the Service	2- The Uttar Pradesh Sub-Inspector and Inspector (Civil Police) service comprises group 'C' posts.		
Definitions	3- In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context,		
	(a) 'Act' means the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 (U.P. Act no. 4 of 1994) as amended from time to time.		
	(b) 'appointing authority' means the Deputy Inspector General of Police;		
	(c) 'Board' means the Uttar Pradesh Police Service Recruitment and Promotion Board, established in accordance with Government orders issued from time to time in this regard;		
	(d) 'Constitution' means the Constitution of India;		
	(e) 'Citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen		



- of India under Part II of the Constitution of India;
- (f) 'Government' means the State Government of Uttar Pradesh;
- (g) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh;
- (h) 'Head of the Department' means the Director General of Police, Uttar Pradesh;
- (i) 'Member of Services' means a person appointed to a post in service under these rules or any previous rules before the commencement of these rules.
- (j) 'Other Backward Classes of citizen' means the backward classes of citizens specified in Schedule I of the Act;
- (k) 'Police Headquarters' means the Headquarters of the Director General of Police, Uttar Pradesh at Lucknow and Uttar Pradesh Police Headquarters at Allahabad.
- (l) 'Selection Committee' means the Committee duly constituted in accordance with the provisions of these rules to select candidates for appointment to the posts in the Services;
- (m) 'Service' means the Uttar Pradesh Sub-Inspector and Inspector (Civil Police) Service;
- (n) 'Substantive appointment' means an appointment, not being an ad-hoc appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;
- (o) 'Year of recruitment' means a period of twelve months commencing on the first day of July of a calendar year;
- (p) "Constable" means Constable Police as per the Uttar Pradesh Police Constable and Head Constable Service Rules, 2015 for the time being in force.
- (q) "Head Constable" mean Head Constable Police as per Uttar Pradesh Police Constable and Head Constable service rules, 2015 for the time being in force.

(** Amended by Amended by notification no. 21/2016/2739/6-pu-1-16-53-2015, dated: 26-12-2016)

PART-II- CADRE

Cadre of	4- (1) The strength of the service and of each category of posts therein
service	shall be such as may be determined by the Government from time to time.



(2) The strength of the service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule(1), be as given below:

Name of post	1	Number of Posts	3
	Permanent	Temporary	Total
1. Inspector	890	1748	2638
2. Sub- Inspector	7153	11846	18999

Provided that;

- (i) the Head of the Department may re-determine the number of posts of various units within the overall sanctioned allocation.
- (ii) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to claim compensation, or
- (iii) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART - III - RECRUITMENT

Source of recruitment

5- Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources:

(1) **Sub-Inspector**

(i) Fifty percent by direct recruitment through the Board.

Note: Dependants of personnel of police department deceased during service who apply for the post of Sub Inspector of Police in the dependant of deceased category shall be recruited by the Board as per the policy decided by the Government. Restriction being that every year such posts shall not be more than 5 percent of the posts to be filled by direct recruitment as against the vacancies arising in the previously sanctioned posts of Sub Inspector of Police.

(ii) Fifty percent of the total number of sanctioned posts of Sub-Inspector Civil Police shall be filled by recruitment through promotion by the Board on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst those substantively appointed Head Constables Civil Police who have completed three years of service including probation period on the first day of the year of recruitment.

(*** Amended by notification no. 6/2017/2458/6-pu-1-17-53-2015, dated: 07-12-2017)

(iii) Head Constables Civil Police promoted on the ex-cadre posts of Sub-Inspectors Civil Police who fulfill the requirement mentioned in clause (ii) shall also be eligible for promotion to the post of Sub-Inspector.



(2) Inspector

(a) Cent percent of the total number of sanctioned posts of Inspector civil police shall be filled by recruitment through promotion by the Board on the basis of seniority subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed Sub-Inspectors Civil Police who have passed the Inspector Civil Police promotion training course prepared by the Directorate of Police Training and have completed seven years of satisfactory service as such on the first day of the year of recruitment, including the probation period.

(***** Amended by notification no. 11/2018/4062/6-pu-1-18-53-2015, dated: 15-11-2018)

(b) Sub Inspectors Civil Police promoted on ex-cadre posts of Inspector Civil Police who fulfill the requirement mentioned in sub-clause (a) shall also be eligible for promotion to the post of Inspector Civil Police.

Reservation

6- Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the provisions of the Act and the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993 as amended from time to time and the orders of the Government in force at the time of the recruitment. The reservation of the National/State level sportsmen shall be in accordance with the Government Orders in force at the time of recruitment. It is also provided that physically handicapped persons will not be eligible for police services.

PART-IV-QUALIFICATIONS

Nationality

- 7- A candidate for direct recruitment to a post in the service must be;
- (a) a citizen of India; or
- (b) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or
- (c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African Countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility



	has been issued by the Government ;			
	Provided further that a candidate belonging to the category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh.			
	Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond the period of one year shall be subject to his acquiring Indian Citizenship.			
	Note:- A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.			
Academic Qualification	8- A candidate for direct recruitment to the post of Sub-Inspector must possess a Bachelor's degree from a University established by law in India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto.			
	(* Amended by notification no. 2/15/2678/6-pu-1-15-53-2015, dated: 03-12-2015)			
Preferential Qualification	9- Other things being equal a candidate for direct recruitment shall be given preference who has;			
	(i) obtained "O" Level Certificate in Computer from DOEACC/NIELIT			
	Society;			
	(ii) Has served for minimum of two years in Territorial Army; or			
	(iii) Has obtained a 'B' Level Certificate of National Cadet Corps;			
	Note: Above noted preferential qualification shall carry no marks, but in the event of two or more candidates having equal marks, candidates with preferential qualifications shall be given preference in final selection list under Rule 15(e).			
	(* Amended by notification no. 2/15/2678/6-pu-1-15-53-2015, dated: 03-12-2015)			
Age	10- A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 28 years on the first day of July of a calendar year in which vacancies for direct recruitment are			
	advertised. Provided that the upper age limit in the case of candidate belonging			



Character	to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories may be greater by such number of years as may be specified in the Act and prevalent Government Orders applicable at the time of the notification of the vacancies by the Board. (** Amended by notification no. 21/2016/2739/6-pu-1-16-53-2015, dated: 26-12-2016) 11- The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respect for employment in Government Service. The appointing authority shall satisfy
	itself on this point. Note: Persons dismissed by the Union Government or any State Government or by a Local Authority or by a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or any State Government shall be ineligible for appointment to the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.
Marital Status	 12- No person- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person. shall be eligible for appointment to service: Provided that the State Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other ground for so doing, exempt any person from the operation of this rule. (**** Amended by notification no. 6/2018/2169/6-pu-1-18-53-2015, dated: 30-05-2018)
Physical fitness	13- No candidate shall be appointed to a post in the service unless he is in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment, he shall be required to pass an examination by a Medical Board. Note:-The Medical Board shall examine the candidates for any physical standards prescribed for height, chest and weight measurement as the case may be and deficiencies such as Knock Knee, bow-legs, flat feet, varicose veins, distant and near vision, colour blindness (total or partial), hearing test comprising of Rinne' Test, Webber's Test and tests for vertigo, speech defects etc., and such other deficiencies as may be notified by the



Government from time to time.

PART-V-PROCEDURE FOR RECRUITMENT

Determination of vacancies

- **14-** The appointing authority shall determine and intimate to the Head of the Department the number of vacancies to be filled during the course of the year recruitment as also the number of vacancies reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6. The Head of the Department shall intimate the number of vacancies to the Board and also to the Government. Subsequently,- the Board shall notify the vacancies in the following manner:-
- (i) By issuing advertisement in daily Hindi and English news papers having wide circulation,
- (ii) By pasting the notice on the notice board of the office or by advertising through Radio/ Television and other Employment news papers,
- (iii) By notifying vacancies to the Employment Exchange, and
- (iv) By other means of the mass communication.

(**** Amended by notification no. 6/2018/2169/6-pu-1-18-53-2015, dated: 30-05-2018)

Procedure for Direct Recruitment to the post of Sub Inspector

15- (a) Application Form and Call Letter:-

A candidate shall fill only one application Form. The Board will accept only online applications. The application of candidates, who fill more than one form, may be rejected by the Board. The Head of the Department, in consultation with the Board, shall fix an application fee for any recruitment. Detailed procedure of filling the Application form and issuance of call letter shall be determined by the Board and will be displayed on its own website.

The Government may change the number of vacancies for any recruitment at any time before the first examination and may also cancel any recruitment at any time or stage of recruitment without assigning any reason therefor.

(b) Written Examination-

Candidates whose applications are found correct, shall be required to appear for written test of 400 marks. In this written examination, the Board will keep one objective type question paper of the following subjects:-



Subject	Maximum Marks	
1. General Hindi	100 marks	
	(objective type)	
2. Basic Law/ Constitution/ General	100 marks	
knowledge	(objective type)	
3. Numerical and Mental Ability Test	Mental Ability Test 100 marks (objective	
	type)	
4. Mental Aptitude Test /I.Q. Test / 100 marks (ob		
Reasoning	type)	

Candidates failing to obtain 35% marks in each subject and 50% marks in aggregate in the written examination shall not be eligible for recruitment. The detailed syllabus for the examination will be decided by Board and will be displayed on its website. The Board will decide at its own level to conduct written examination on one date in a single shift or in more than one shift or more than one date in different shifts with different question paper through pen and paper based written examination (OMR) system or through computer based examination system.

Note:-

- (1) Detailed procedure for written examination shall be determined by the Board and will be displayed on its own website.
- (2) If the Board decides to conduct the written examination in more than one shift or on more than one date in different shift with different question paper, then the Board may, if necessary, decide the process of normalization of marks obtain by candidates appearing in such examination at its level and be displayed on its website.

(****** Amended by notification no. 1350/6-pu-1-19-53-2015, dated: 30-07-2019)

(c) Scrutiny of Documents and Physical Standard Test-

Candidates found successful in written examination under clause (b) shall be required to appear in Scrutiny of Documents and physical Standard Test. Keeping in view the total number of vacancies, the Board shall decide at its own level, the number of candidates on the basis of merit to be called for this test. Physical Standards for candidates are as follows:-

- 1. Minimum Physical Standards for male candidates are as follows:-
- (a) Height:-
- (i) for General/Other Backward classes and Scheduled Castes male



candidates minimum height should be 168 centimetre.

(ii) for Scheduled Tribes male candidates minimum height should be 160 centimetre.

(b) Chest:-

For the candidates belonging to General/ Other Backward classes and Scheduled Castes minimum chest measurement should be 79 centimetres without expansion and at least 84 centimetres with expansion; and for the candidates belonging to the Scheduled Tribes 77 centimetres without expansion and not less than 82 centimetres on expansion.

Note:- Minimum 5 centimetre chest expansion is essential.

2. Minimum Physical Standards for female candidates are as follows:-

(a) Height:-

- (i) for General/Other Backward classes and Scheduled Castes female candidates minimum height should be 152 centimetre.
- (ii) for Scheduled Tribes female candidates minimum height should be 147 centimetre.

(b) Weight:-

Minimum 40 Kg. for female candidates.

For conducting this examination a committee will be constituted by the Board in which a Deputy collector nominated by the District Magistrate will be the Chairman and the Deputy Suprintendent of Police nominated by the District Suprintendent of Police will be the member. the other members of the committee shall be nominated by the District Magistrate or the Suprintendent of Police if requested by the board.

Detailed procedure for this examination shall be determined by the Board and will be displayed on its own website.

If any candidate is not satisfied with his Physical Standard Test, he may file an objection on the same day after the test. For clearing all such objection; the Board shall nominate one Additional Superintendent of Police at every place and Physical Standard Test of all such candidates will be conducted again by the committee in the presence of the said nominated Additional Superintendent of Police. All those candidates who are again found unsuccessful in the Physical Standard Test, will be declared unfit for recruitment and no further appeal will be entertained in this regard.



(d) Physical Efficiency Test-

Candidates found successful in Scrutiny of **Documents** PhysicalStandard Test as per clause (c) will be required to appear in Physical Efficiency Test, which will be of qualifying nature. For qualifying in this physical efficiency test it shall be necessary for male candidates to complete 4.8 km. run in 28 minutes and for female candidates to complete 2.4 km. run in 16 minutes. Those candidates who do not complete the run within prescribed time shall not be eligible for recruitment. Detailed procedure for Physical Efficiency Test shall be determined by Board and will be displayed on its own website. For conducting this exam a committee will be constituted by Board in which a Deputy collector nominated by the District Magistratewill be chairman and Deputy Suprintendent of Police nominated by the District Suprintendent of Police will be member, the other members of the committee shall be nominated by the District Magistrate or the Suprintendent of Police if requested by the board.

(e) Selection and Final Merit List:-

From amongst the candidates found successful in Physical Efficiency Test under clause (d), on the basis of marks obtained by each candidate in written examination under clause (b), Board shall prepare, as per the vacancies, a select list of each category of candidates, as per order of merit keeping in view the reservation policy and send it with recommendation to the Head of the Department subject to Medical test/character verification. No waiting list shall be prepared by the Board. List of all candidates with marks obtained by each candidate shall be uploaded on its website by the Board. The Head of the Department shall after his approval forward the list sent by the Board to the Appointing Authority for further action.

Note:- If two or more than two candidates obtain equal marks then their seniority shall be decided by the procedure laid in following order:-

- (1) If two or more candidates obtain equal marks then such candidate will be given preferencewhopossesses preferential qualification, if any (in the same order as stated in rule 9). Candidate having more than one preferential qualification shall get the benefit of only one preferential qualification.
- (2) Even then if two or more candidates have equal marks then candidate older in age shall be given preference.
- (3) If despite the aforementioned more than one candidates are equal, then preference to such candidate shall be determined according to the order in English Alphabets of their names mentioned in High School



Certificate.

(f) Medical Test-

The candidates whose names are in the select list as per clause (e), will be required to appear for Medical Examination by the Appointing authority. For conducting the medical examination, the Chief Medical Officer of the concerned district shall constitute a Medical Board, which will have 03 doctors, who will conduct Medical Examination as per "Police Recruitment Medical Examination Forms" as prescribed and codified by the Head of Department in consultation with the Director General of Medical Health.Any candidate not satisfied by his Medical Examination, may file an appeal on of examination itself. Any appeal with regard to Medical Examination will not be considered if the candidate fails to file the appeal on the date of Medical Examination and declaration of its result itself. The Medical Board constituted for appeal shall have expert regarding Medical deficiency of the applicant. The detailed instructions for conducting Medecal examination will be issued by the Director General of Police. The candidates found unsuccessful in Medical Examination shall be declared unfit by the Appointing authority and such vacancies shall be carried forward for next selection.

(* Amended by notification no. 2/15/2678/6-pu-1-15-53-2015, dated: 03-12-2015)

Character verification

16- Character Verification shall be completed under the supervision of appointing authority before issuing of appointment letter and before sending the candidates for training. Ordinarily character verification shall be completed within a month. On adverse fact coming to light during character verification of any candidate, he shall be declared unfit by the appointing authority and such vacancies shall be carried forward for next selection.

Procedure for recruitment by promotion

17(1) Promotion on the post of Sub Inspector

The appointment to the post of the Sub Inspector shall be made from amongst the eligible personnel substantively appointed as Head Constable Civil Police according to the following policy:-

(a) Fifty percent of the total number of sanctioned posts of Sub-Inspector Civil Police shall be filled by recruitment through promotion by the Board on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst those substantively appointed Head Constables civil police who have completed three years of service including probation period on the first day of the year of recruitment.

(*** Amended by notification no. 6/2017/2458/6-pu-1-17-53-2015, dated: 07-12-2017)



(b) Such Head Constables Civil Police promoted to ex-cadre post of Sub-Inspector Civil Police shall also be eligible for promotion to the posts of Sub inspector Civil Police under clause (a) who fulfill the qualifications.

(2) Promotion on the post of Inspector Civil Police :-

The appointment to the post of the Inspector Civil Police shall be made from amongst the eligible personnel substantively appointed as Sub Inspector Civil Police according to the following policy:-

(a) Hundred percent of the total number of sanctioned posts of Inspector Civil Police shall be filled by recruitment through promotion by the Board on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst those substantively appointed Sub- Inspector civil police who have completed seven years of service including probation period on the first day of the year of recruitment.

(***** Amended by notification no. 11/2018/4062/6-pu-1-18-53-2015, dated: 15-11-2018)

(b) Such sub-inspector Civil Police, promoted to ex-cadre post of Inspector Civil Police, shall also be eligible for promotion to the posts of inspector Civil Police under clause (a), who fulfill the qualifications.

(3) Selection Committee for Promotion:-

- (a) The Selection Committee for promotion shall be constituted by the Board.
- (b) The Chairman of the Committee shall be nominated by the Board and shall not be junior in rank than the Appointing Authority for the promotional post for which the selection committee is constituted. One member of appropriate rank shall be nominated by the Head of the Department in the Committee and remaining members of the Committee shall be nominated by the Board according to Government Orders for the time being in force.
- (c) Undisputed seniority list for promotion shall be made available by the Police Head Quarters to the Board.
- (d) Selection Committee shall submit the result of successful candidates along with its recommendations to the Board. The Board shall submit the list of selected candidates along with its recommendations to the Head of the Department. The list shall not contain candidates more than the notified vacancies.
- (e) The Head of the Department shall after his approval send the List to



Appointing Authority who will issue final orders for promotion.

(f) After approval by the Head of Department, final list of candidates selected for promotion shall be displayed by the Board on its website and U.P. Police website.

PART VI- TRAINING, APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment

18 (1) Subject to the provisions of rules 15 and 16 the appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the same order in which they stand in the list prepared under clause (e) of rule 15. The appointing authority shall issue the appointment letter to the candidates with the direction that they should report for service /training within one month of the date of issue of the letter or any date specified for this purpose in the appointment letter. If a candidate does not do so his selection/appointment shall be cancelled.

Provided that any person appointed to a post in the service prior to the commencement of these rules and is working on the post, shall be deemed to have been substantively appointed under these rules.

(* Amended by notification no. 2/15/2678/6-pu-1-15-53-2015, dated: 03-12-2015)

(2) If more than one order of appointments are issued in respect of any one selection under rule-17, then a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or, as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted.

Provided that any person appointed before the commencement of these rules to a post under the service and working on that post shall be deemed to have been substantively appointed under these rules and such substantive appointment shall be deemed to have been made under these rules.

Training

19 (1) (a) The candidates finally selected to the post of sub inspector under rules 15 and 16 shall be required to pass the training prescribed by the Head of the Department. Provisions of Police Training College Manual shall be effective on the cadets during the basic training. If the candidate finally selected for basic training does not report for training within the stipulated time limit then his selection/candidature shall be cancelled.

(b) Re-examination of the cadets failing in basic training shall be organized by the Head of the Department after their supplementary training. The proceeding for termination of service of candidates failing



r	
	in examination of training after supplementary training shall be done by the Appointing Authority.
	2. It is mandatory for the candidates to complete canonical training before promotion under rule-17.
	(***** Amended by notification no. 11/2018/4062/6-pu-1-18-53-2015, dated: 15-11-2018)
Probation	20- (1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years. (2) During the probation period a probationer shall be required to undergo such training as may be prescribed by the Head of Department. (3) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which extension is granted: Provided that, except in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances, beyond two years. (4) If it appears to appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with. (5) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub- rule (4) shall not be entitled to any compensation. (6) The appointing authority may allow continuous service, rendered in officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.
Confirmation	 21- (1) Subject to the provisions of rule 20, a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if; (a) he has successfully undergone the prescribed training; (b) his work and conduct is reported to be satisfactory; and (c) his integrity is certified. (2) Where, in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh State Government Servants Confirmation Rules, 1991, confirmation is not necessary, the order under sub-rule (3) of rule 5 of those rules declaring that the person concerned has successfully completed the probation shall be deemed to be the order of confirmation.
Seniority	22- Seniority of persons substantively appointed to any posts in the service shall be determined as follows:-



- (1) <u>Determination of seniority of sub inspectors recruited before</u> 02-12-2008
- (a) Seniority of sub inspectors recruited by any means who have undergone training at one time shall be determined on the basis of the percentage of marks obtained by them in training after selection in training institutions.
- (b) Selection of sub inspectors by the Board by means of direct recruitment shall be considered a separate selection. Inter-se seniority of sub inspectors recruited in a single selection under direct recruitment shall be according to the order of the final select list issued by the Board. But if direct recruitment, against vacancies in the post of Sub Inspector Civil Police in any year, for Male and Female candidates is carried out simultaneously then the seniority of selected Male and Female candidates shall be decided together on the basis of marks obtained by them in these selection processes, even if both the recruitments have different dates of selection. In this regard after completion of recruitments processes and declaration of their results, the Board shall separately prepare the combined merit list of all Male and Female candidates selected for the post of Sub Inspector Civil Police on the basis of marks obtained by them in the recruitment processes and send it to Police Headquarter. Subsequently the Police Headquarter shall decide the seniority of these selected Male and Female candidates together, for the post of Sub Inspector Civil Police, on the basis of the combined merit list.

(** Amended by notification no. 21/2016/2739/6-pu-1-16-53-2015, dated: 26-12-2016)

- (2) <u>Determination of seniority of sub inspectors recruited after 02-12-2008</u>
- (a) seniority of sub inspectors appointed by any type of selection shall be determined from their date of selection. Here date of selection means the date on which the Head of Department approves the select list sent by the Board or the selection committee after the completion of recruitment process;
- (b) selection of sub inspectors by the Board by means of direct recruitment shall be considered a separate selection. Inter-se seniority of sub inspectors recruited in a single selection under direct recruitment shall be according to the order of the final select list issued by the Board;
- (c) sub inspectors recruited under the dependants of deceased category and sub inspectors recruited under the Skilled Sportsmen Rules-2011 shall be considered a separate selection of direct recruitment. The



inter-se seniority of sub inspectors so recruited shall be determined according to the percentage of marks obtained by them in training after selection in training institutions. In one training session if percentage of marks obtained in training institutions are same for more than one candidate then date of birth shall be made the basis of determination of inter-se seniority. In case of percentage of marks and date of birth being same the seniority shall be determined according to the alphabetical order of the names in High School Certificates in English.

(d) Sub inspectors appointed through promotion shall be considered a separate selection. If promotion to the post of sun inspector is through an examination then inter-se seniority of sub inspectors appointed after promotion shall be according to the final select list issued by the Board. If promotion to the post of sub inspector is done on the basis of seniority then the inter se seniority of sub inspectors appointed having same date of selection shall be according to their seniority in the feeder cadre and sub inspector selected in previous year shall be senior to sub inspector selected in subsequent year.

(3) Determination of seniority of Inspectors

Seniority of inspectors appointed on the basis of promotion shall be determined from their date of selection. Inter-se seniority of inspectors appointed on same date of selection shall be according to their seniority in their feeder cadre and inspectors selected in previous year shall be senior to inspectors selected in subsequent year. Here date of selection means the date on which the Head of Department approves the select list sent by the Board or the selection committee after the completion of recruitment process.

(*** Amended by notification no. 6/2017/2458/6-pu-1-17-53-2015, dated: 07-12-2017)

- (4) The seniority in some special case determined according to a previously determined policy shall remain unchanged.
- (5) Despite the aforesaid if new facts come to light about seniority determination or in case some dispute arises then it shall be resolved by the Head of Department according to policy of the Government.

PART-VII-PAY ETC.

Scales of Pay	23- (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various		
	categories of posts in the Service shall be such as may be determined by		
	the Government from time to time.		
	(2) The scales to pay at the time of the commencement of these rules are		



				/ EMPOWERIN
	given as follows:			
	S.No.	Name of post	Scales of pay	
	1	Sub Inspector	Rs. 9300-34800	Grade
			Pay - 4200	
	2	Inspector	Rs. 9300-34800	Grade
			Pay - 4600	
Pay during	24- (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the			
probation	•	•	ation, if he is not already i	•
			allowed his first increment in t	
			year of satisfactory service	
			l undergone training where pr	
	second increment after two years of service when he has completed the			
	probationary period and is also confirmed: Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment			
	unless the appointing authority directs otherwise. (2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government shall be regulated by the relevant fundamental rules: Provided that if period of probation is extended on account of			
	failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.			
			ion of a person already i	n permanent
	_		regulated by the relevant rule	_
			vants serving in connection with	
	of the State		miles ser ving in connection wi	in the alland
	or the State	•		

PART-VIII-OTHER PROVISIONS

Canvassing	25- No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post in the service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.		
Regulation of	26- In regard to the matters not specifically covered by these rules or		
other matters	special orders persons appointed to the service shall be governed by the		
	rules, regulations and orders made under the Police Act.		
Delevation	27 Where the State Covernment is estisfied that the analysis of any		
Relaxation	27- Where the State Government is satisfied that the operation of any		
for the	rule, regulating the conditions of service of persons appointed to the		
conditions of	service causes undue hardship in any particular case, it may,		



service	notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the cases in just and equitable manner.
Savings	28- Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

In the said rules, the Appendees- 1, 2, 3 and 4 has been omitted.

(* Amended by notification no. 2/15/2678/6-Pu-01-15-53-2015 dated: 03.12.2015)

In the said rules, the Appendix- 5 has been omitted.

(***** Amended by notification no. 1350/6-Pu-01-19-53-2015 dated: 30.07.2019)

Debasish Panda

Pramukh Sachiv, Grih

NOTE:-

- (1) * Amended by notification no. 2/15/2678/6-Pu-01-15-53-2015 dated: 03.12.2015 (The Uttar Pradesh Sub-Ispector and Inspector (Civil Police) Service (First Amendment) Rules, 2015)
- (2) ** Amended by notification no. 21/2016/2739/6-pu-1-16-53-2015, dated: 26-12-2016 (The Uttar Pradesh Sub-Ispector and Inspector (Civil Police) Service (Second Amendment) Rules, 2016)
- (3) *** Amended by notification no. 6/2017/2458/6-pu-1-17-53-2015, dated: 07-12-2017 (The Uttar Pradesh Sub-Ispector and Inspector (Civil Police) Service (Third Amendment) Rules, 2017)
- (4) **** Amended by notification no. 6/2018/2169/6-pu-1-18-53-2015, dated: 30-05-2018 (The Uttar Pradesh Sub-Ispector and Inspector (Civil Police) Service (Fourth Amendment) Rules, 2018)
- (5) **** Amended by notification no. 11/2018/4062/6-pu-1-18-53-2015, dated: 15-11-2018 (The Uttar Pradesh Sub-Ispector and Inspector (Civil Police) Service (Fifth Amendment) Rules, 2018)
- (6) ***** Amended by notification no. 1350/6-Pu-01-19-53-2015 dated: 30.07.2019 (The Uttar Pradesh Sub-Ispector and Inspector (Civil Police) Service (Sixth Amendment) Rules, 2019)